कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–उत्पादन)
मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल
दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: apccfproduction@gmail.com

क्रमांक / निर्वर्तन / 101 भोपाल, दिनांक : 11 / 01 / 2013

प्रति,

समस्त ,मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
म0प्र0

विषय :– घोष विक्रय एवं निविदाओं के समय ठेकेदारों / संविदाकारों को दिये जाने वाले जलपान सुविधा के व्यय का निर्धारण ।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / निर्वर्तन / 2312 दिनांक 09–06–2009

—::00::—

वनोपज के घोष विक्रय एवं निविदाओं के समय आने वाले ठेकेदारों / संविदाकारों को दिये जाने वाले जलपान हेतु प्रति नीलाम दिवस के लिए रू 105 / – (रूपयें एक सौ पांच)प्रति व्यक्ति के मान से राशि व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । इस राशि का व्यय निम्नानुसार मार्गदर्शी निर्देशों के अन्तर्गत किया जावेगा :–

1. नीलाम में विक्रय की गई मटेरियल लिस्ट की संख्या का अधिकतम दो गुना व्यक्तियों की संख्या तक व्यय मान्य होगा ।
2. एक क्रेता के द्वारा एक से अधिक मटेरियल लिस्ट क्रय किये जाने पर जलपान की राशि की गणना हेतु एक क्रेता ही माना जाएगा ।
3. नीलाम में विभिन्न प्रजाति की मटेरियल लिस्ट पृथक–पृथक विक्रय की जाने की स्थिति में अधिकतम विक्रय की गई मटेरियल लिस्ट की संख्या के आधार पर ही जलपान व्यय मान्य होगा ।
4. सामान्यतः नीलाम की कार्यवाही प्रातः 9 बजे से सायं तक चलती है अतः उक्त राशि में क्रेताओं को यथासंभव एक समय का भोजन उपलब्ध कराया जाना वांछनीय है ।
5. ये दरें इस आदेश के जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी।
6. उपरोक्त दरें अधिकतम है । स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर इसमें मितव्ययता करने के पूर्ण प्रयास किये जावें ।

कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुसार नीलामों में जलपान व्यवस्था की जावे ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म0प्र0 भोपाल

पृ0 क्रमांक/निर्वर्तन/102 भोपाल, दिनांक : 11 /01/2013

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,वन विभाग भोपाल।
2. महालेखाकार, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. संचालक,मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल।
4. मुख्य वन संरक्षक एवं विक्रय अधिकारी म0प्र0 वन , नई दिल्ली ए--9 (द्वितीय तल) राजनारायण मार्ग, सिविल लाईन –19 दिल्ली –54

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म0प्र0 भोपाल